विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम-गुरूवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
8(क)	क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बेड संख्या कितनी है और वे किस बीमारी का इलाज करते है, और उसे हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य है ?	प्रदेश में स्थापित सभी नैदानिक स्थापनों को शासनादेश संख्या-1600/पॉच-6-2023, दिनांक 13-09-2023 द्वारा क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट रूल्स 2016 की धारा 28 (डिस्प्ले आफ इनफारमेशन) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने चिकित्सालय/परिसर में अपनी चिकित्सा इकाई के बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारिवृद (चिकित्सा नर्स आदि) को स्पष्ट अक्षरों में चिकित्सालय के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।
(ख)	यदि हॉ, तो क्या इसका अनुपालन हो रहा है ?	उपरोक्तानुसार।
(ग)	यदि नहीं, तो क्या उक्त नियमों का अनुपालन न करने वालो के विरूद्ध कोई कार्यवाही करायेंगे ?	जी हॉ। आदेश का अनुपालन न करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री